3. सकल कुल आय और कुल आय में अन्तर

Difference between Gross Total Income and Total Income

आयकर अधिनियम में एक करदाता को जो मौद्रिक रूप में जो प्राप्त होती है उसे ही आय कहा जाता है। यह आय नियमितता के साथ कुछ निश्चित साधनों के रूप में प्राप्त होना आवश्यक है। **Difference between Gross Total Income and Total Income**

सकल कुल आय :– आयकर अधिनियम के पाँचों साधनों के आयों को जोड़ने के उपरान्त जो योगफल होता है उसे ही सकल कुल आय कहा जाता है।

कुल आय :– उपरोक्त सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम में वर्णित धारा **80C** से **80U** तक की राशि को घटाने के उपरान्त जो राशि आती है उसे ही कुल आय कहा जाता है।

अन्तर का आधार	*सकल कुल आय*	*कुल आय*
1. आशय वर्णित	आय के विभिन्न शीर्षकों– वेतन, मकान सम्पति से आय, व्यापार या पेशे से लाभ, पूँजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय की कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं।	स्कल कुल आय में से धारा 80 सी से धारा 80 यू तक की कटौतियों को घटाने बाद जो शेष राशि बचती है, उसे कुल आय कहते हैं।
2. धारा 80 की कटौतियाँ	सकल कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियाँ घटाने के पूर्व की जाती है।	कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियाँ घटाने के बाद की जाती है।
3. आय को पूर्ण करना	सकल कुल आय को 10 रूपये के निकटतम गुणक तक पूर्ण **(Round off)** नहीं करते हैं।	कुल आय को 10 रूपये के निकटतम गुणक तक पूर्ण **(Round off)** करते हैं।
4. आयकर की गणना	सकल कुल आय पर आयकर की गणना नहीं की जाती है।	कुल आय पर ही आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर

		की राशि ज्ञात की जाती है।
5. दोनों आयों का अनुपात	सकल कुल आय कुल आय से ज्यादा या बराबर हो सकती है।	कुल आय सकल कुल आय के बराबर या कम हो सकती है।
6. कुल आय की गणना में होने वाली कटौतियों का ज्ञान	किसी व्यक्ति द्वारा सकल कुल आय की गणना करते समय कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटौतियों की जानकारी आवश्यक नहीं है।	किसी व्यक्ति द्वारा कुल आय की गणना करते समय सभी प्रकार की कटौतियों की जानकारी रखना आवश्यक है। क्योंकि कटौती के बाद ही कुल आय की गणना की जाती है।

****